



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 1, 2004/फाल्गुन 11, 1925

No. 41]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 1, 2004/PHALGUNA 11, 1925

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2004

सं. भा. आयु. परि-26(3)-2003-मेडि./33094.— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् केन्द्र सरकार की पूर्वस्वीकृति से स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा पर विनियम, 1997 में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. ये "स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा (संशोधन) विनियम, 2004" कहे जाएंगे।

2. स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियम, 1997 के विनियम 7 में—

(1) उप-विनियम (6) को निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"(6) विश्वविद्यालय तथा अन्य संबद्ध प्राधिकारी इस प्रकार से प्रवेश प्रक्रिया तय करें कि प्रथम सेमिस्टर प्रत्येक वर्ष की 1 अगस्त को आरम्भ हो जाए। इस प्रयोजन के लिए वे परिशिष्ट ड में दर्शायी समय-अनुसूची का पालन करेंगे।"

(2) उप-विनियम (6) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएं :

"(6क) किन्हीं भी परिस्थितियों में 30 सितम्बर के पश्चात् किसी भी शैक्षिक सत्र में, किसी भी विद्यार्थी को, प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उक्त तारीख के बाद विश्वविद्यालय किसी भी विद्यार्थी का पंजीकरण नहीं करेंगे।

(6ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् निदेश दे सकती है कि कोई भी विद्यार्थी जिसने प्रवेश बंद होने की अंतिम तारीख के बाद प्रवेश पाया है उसे उस अध्ययन पाठ्यक्रम से निकाल दिया जाए अथवा ऐसे विद्यार्थी को प्रदान की गयी आयुर्विज्ञान अर्हता को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के प्रयोजन हेतु मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। जो संस्थान किसी विद्यार्थी को विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख के पश्चात् प्रवेश देता है उसके विरुद्ध भी भा. आयु. परिषद् द्वारा विहित की गयी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे किए जाने वाले प्रवेशों की संख्या के बराबर ही अनुवर्ती शैक्षिक सत्र में स्वीकृत प्रवेश क्षमता में से उतनी सीटें कम कर दी जाएंगी।"

ले. कर्नल (डॉ.) ए. आर. एन. सेतलवाड (सेवा निवृत्त), सचिव

[विज्ञापन-III/IV/असाधारण/100/2003]

पाद टिप्पणी : मूल विनियम अर्थात् : "स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा पर विनियम, 1997, भारत के राजपत्र, भाग-III, खण्ड 4 में 17 मई, 1997 को प्रकाशित हुए थे और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 10 मई, 1999, 1 जुलाई, 2002, 26 सितम्बर, 2003 तथा 15 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए जो भारत के राजपत्र, भाग-III, खण्ड 4 में क्रमशः 29 मई, 1999 तथा 2 जुलाई, 2002, 30 सितम्बर, 2003 व 16 अक्टूबर, 2003 को प्रकाशित हुईं। **

परिशिष्ट ड

प्रथम एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने हेतु समय-अनुसूची

प्रवेश हेतु अनुसूची	अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा भरी जाने वाली सीटें	राज्य सरकारों/संस्थानों द्वारा भरी जाने वाली सीटें
परीक्षा का आयोजन	मई मास	मई मास
अर्हक परीक्षा/प्रवेश परीक्षा के परिणाम की घोषणा	5 जून तक	15 जून तक
काउंसलिंग/प्रवेश का प्रथम दौर	30 जून तक पूरा कर लिया जाए	25 जुलाई तक पूरा कर लिया जाए
पाठ्यक्रम तथा कालेज में प्रवेश की अंतिम तारीख	सीट आबंटन की तारीख से 15 दिन के अंदर @@	31 जुलाई
प्रतीक्षा सूची से सीट आबंटन के लिए काउंसलिंग का दूसरा दौर	08 अगस्त तक पूरा किया जाए	28 अगस्त तक
प्रतीक्षा सूची से सीट आबंटन के लिए काउंसलिंग के दूसरे दौर में जिन्हें सीट आबंटित की गयी उनके द्वारा प्रवेश लेने की अंतिम तारीख	सीट आबंटन की तारीख से 15 दिन के अंदर। (22 अगस्त के बाद खाली सीटें राज्य सरकारों/कालेजों को अभ्यर्पित कर दी जाएं)	31 अगस्त
शैक्षिक सत्र का प्रारम्भ		01 अगस्त
किसी भी कारण से खाली रह गयी सीटों पर विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए अंतिम तारीख		30 सितम्बर

टिप्पणी : @@ संबंधित उम्मीदवार द्वारा प्रवेश लेने की तय अंतिम तारीख के बाद कालेजों के प्रमुख, अखिल भारतीय कोटा की बाकी बची सीटों की सूचना महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं को 7 दिन के भीतर और देर-से-देर 23 जुलाई तक देंगे।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2004

No. MCI-26(3)/2003-Med/33094.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Regulations on Graduate Medical Education, 1997, namely :—

1. These regulations may be called the "Graduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2004".

2. In the Regulations on Graduate Medical Education, 1997, in regulation 7,—

(i) for sub-regulation (6) the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(6) The Universities and other authorities concerned shall organize admission process in such a way that teaching in first semester starts by 1st of August each year. For this purpose, they shall follow the time schedule indicated in APPENDIX-E".

(ii) after sub-regulation (6), the following sub-regulations shall be inserted :

"(6A) There shall be no admission of students in respect of any academic session beyond 30th September under any circumstance. The Universities shall not register any student admitted beyond the said date.

(6B) The Medical Council of India may direct, that any student identified as having obtained admission after the last date for closure of admission be discharged from the course of study, or any medical qualification granted to such a student shall not be a recognized qualification for the purpose of the Indian Medical Council Act, 1956.

The Institution which grants admission to any student after the last date specified from the same shall also be liable to face such action as may be prescribed by MCI including surrender of seats equivalent to the extent of such admission made from its sanctioned intake capacity for the succeeding academic year".

Lt. Col. Dr. A.R.N. SETALWAD (Retd.), Secy.

[ADVT-III/IV/Extraordinary/100/03]

Footnote : The Principal regulations namely, "Regulation on Graduate Medical Education, 1997" was published in Part III Section 4 of the Gazette of India on 17th May, 1997 and amended vide MCI notification dated 10th May, 1999, 1st July, 2002, 26th September, 2003 and 15th October, 2003 published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on 29th May, 1999 and 2nd July, 2002, 30th September, 2003 and 16th October, 2003 respectively.

APPENDIX - E

TIME SCHEDULE FOR COMPLETION OF THE ADMISSION PROCESS FOR FIRST MBBS COURSE

Schedule for Admission	Seats filled up by Central Govt. through All India Entrance Examination	Seats filled up by the State Govts./ Institutions
Conduct of Entrance Examination	Month of May	Month of May
Declaration of Result of Qualifying Exam./Entrance Exam.	By 5th June	By 15th June
1st round of counseling/admission :	To be over by 30th June	To be over by 25th July
Last date for joining the allotted College and Course :	Within 15 days from the date of allotment of seat @@	31st July
2nd round of counseling for allotment of seats from Waiting List :	To be over by 8th August	Upto 28th August
Last date for joining for candidates allotted seats in 2nd round of counseling from the Waiting List	Within 15 days from the date of allotment of seat. (Seats vacant after 22nd August will be surrendered back to the States/Colleges)	31st August
Commencement of academic session :		1st of August
Last date up to which students can be admitted against vacancies arising due to any reason :		30th September

NOTE :—@@ Head of the Colleges should intimate the vacancies existing after the last date for joining the course by the candidate concerned in respect of the All India Quota of seats to the DGHS within seven days and latest by 23rd of July.